प्राक्कथन

मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।.

राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा - संघ सरकार के अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत संचालित की जाती हैं।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों का चयन 2008-09 के दौरान की गई निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों तथा 2005-06 से 2007-08 की अवधि के दौरान राजस्व के संग्रहण को शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में हमारी लेखापरीक्षा के परिणामों को सिफारिशों सहित सम्मिलित किया गया है।